179

माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

(सर्किट कोर्ट रीवा) निगरानी 4592-पीबीआर/15

Rs.20/-

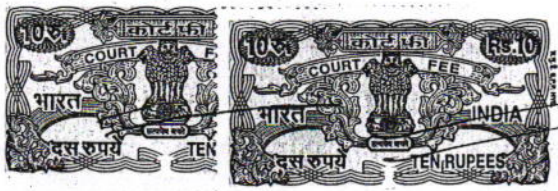

श्री अनिल मिश्रा एड. के द्वारा आज दिनांक 16-02-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

रूक्मणी प्रसाद त्रिपाठी तनय रामरूद्र त्रिपाठी, उम्र 66 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0
....निगरानीकर्ता

बनाम्

01. बद्री सिंह तनय बीर बहादुर सिंह, उम्र 67 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम पतौता, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, म0प्र0

02. राजस्व निरीक्षक, रा0नि0मं0, ताला, तहसील अमरपाटन, जिला सतना

03. राजस्व निरीक्षक, रा0नि0मं0, ताला, तहसील अमरपाटन, जिला सतना

....गैरनिगरानीकर्तागण

क्रमांक 4592
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त
23-2-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध नक्शा रेखांकन द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त ताला, तहसील अमरपाटन, जिला सतना, दिनांक 26/05/2012, वास्ते आराजी कं0 44/1,44/2, 45/1, 45/2, 46/1,46/2 स्थित ग्राम परसिया, रा.नि.मं. ताला, तह0 अमरपाटन, जिला सतना एवं विरूद्ध आदेश दिनांक 19/02/2013, अंतर्गत रा0 प्र0 कं0 4ए-12/12-13 में पारित

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं :-

ग्राम परसिया, जिला सतना की भूमि खसरा कं0 44/2 का भूमिस्वामी निगरानीकर्ता एवं भूमि खसरा कं0 44/1 के भूमिस्वामी गैरनिगरानीकर्ता कं0 1 दर्ज राजस्व अभिलेख हैं, उक्त भूमियों को सम्मिलित रूप से आगे प्रश्नाधीन भूमियां कहा गया है। पूर्व में आराजी कं0 44 मूलतः निगरानीकर्ता को म0प्र0 राज्य द्वारा आबंटित हुई जिसे निगरानीकर्ता द्वारा अपने भाई माधव प्रसाद के नामे सहखातेदार के रूप में दर्ज कराया गया व मौके पर उक्त भूमि के मुख्य मार्ग बेला गोविन्दगढ़ रोड पर समानान्तर कुल लम्बाई का 1/2 भाग का कब्जा आपस में बांटकर बरकरार रखा गया। गैरनिगरानीकर्ता कं0 1 के द्वारा मूल खसरा कं0 44

रूक्मणी प्रसाद शर्मा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 452–तीन/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	1/ मैने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने एवं नस्ती का परिशीलन किया । इससे निम्न बिन्दु प्रकरण में प्रमुखता से टीप एव विचार योग्य समक्ष आते है :– (क) तर्क एवं निगरानी मेमों में निगरानी का मुख्य आधार यह लिया गया है कि सर्वे नंबर 44/1 की नक्शे पर तरमीम राजस्व निरीक्षक ताला द्वारा दिनांक 26–5–12 को की गई थी, जो निगराकार की जानकारी के बगैर हुआ, जबकि निगराकार सर्वे नंबर 44/2 का भूमिस्वामी होकर सरहदी कृषक है, औरं यह तरमीम उस प्रकार से नहीं हुई जिस प्रकार से वह होनी चाहिये थी, अर्थात बेला गोविन्दगढ रोड पर 44/1 एवं 44/2 की समानान्तर लम्बाई होना चाहिये थी औंर उनकें बराबर रकबे भी होने चाहिए थे । जो कि नहीं हैं, जिस वजह से निगराकार इस तरमीम से तो असन्तुष्ट है ही, साथ ही वह इस तरमीम के आधार पर हुए सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 19–2–13 से भी असन्तुष्ट है । (ख) मेमों के साथ जो नक्शा ट्रेस की सत्यप्रति दी गई है, उसमें तहसीलदार की ओर से हुए किसी तरमीम आदेश का लेख नहीं है । उसमें नोट लिखा है कि "सर्वे नंबर 44/1 , 44/2, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2 का	

पेंन्सिल से नक्शा तरमीम किया गया ।" जो राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर से प्रमाणित है ।

(ग) सीमाकंन सूचना पत्र दिनांक 2–2–13 में यह लिखा है कि रूक्मणीप्रसाद (निगराकार) ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया, तामीली बाद वापस किया ।

(घ) सीमाकंन का मौका पंचनामा दिनांक 10–2–13 का है, और सीमाकंन पुष्टि आदेश दिनांक 19–2–13 का । इस दौरान निगराकार ने राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार के समक्ष कोई आपत्ती नहीं की ।

2/ उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि विषयान्तर्गत वाद भूमि सर्वे नंबर 44, 45, 46 के बटांकों की नक्शे पर तरमीम, सक्षम अधिकारी यानि तहसीलदार द्वारा नहीं की जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा कर दी गई है, जबकि संहिता की धारा 70 के अनुसार इस संबंध में अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है राजस्व निरीक्षक को नहीं ।

अतः मैं उक्त बटांकों की तरमीम एवं उसके आधार गैर निगराकार कमांक 1 की भूमि का सीमाकंन प्रथम दृष्टया स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ । अतः इस तरमीम के राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 26–5–12 को किए गए प्रमाणीकरण और दिनांक 19–2–13 के राजस्व निरीक्षक के सीमांकन पुष्टिकरण आदेश को एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ । साथ ही उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं तहसीलदार तहसील अमरपाटन जिला सतना को यह निर्देश देता हूँ कि वे ग्राम परसिया राजस्व निरीक्षक मण्डल ताला, तहसील अमरपाटन, जिला सतना के आराजी नंबर 44, 45, 46 के अंशों का बटांकन एवं नक्शा तरमीम संहिता (म0 प्र0 भूराजस्व संहिता) के प्रावधानों के अनुसार बतौर सक्षम

अधिकारी स्वंय करें, और इसमें समस्त बटांक–धारियों, सरहदी कृषकों और हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुए समूची आवश्यक विधिक प्रकिया का पूर्णतः पालन किया जाना भी अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए ।

यदि उक्त बटांक कायम किए जाने और उनकी नक्शे पर तरमीम संबंधी कोई प्रकरण पूर्व में दायर किया गया हो, तो वे उसे पुनः खोलकर उसमें यह समस्त कार्यवाही करते हुए उसे स्पष्टतः अभिलिखित भी करें, यदि नहीं तो नया प्रकरण दायर करके उसमें उपरोक्तानुसार बटांकन एवं तरमीम संबंधी कार्यवाही पहले अपने स्तर से पूर्ण करें ।

उपरोक्त बटांकन और तरमीम की कार्यवाही विधिवत पूर्ण कर लेने के बाद, तहसीलदार अनावेदक क्रमांक–1 के आवेदन पर विचार करते हुए उनकी भूमि के सीमांकन की कार्यवाही समस्त सरहदी कृषकों और हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुए, विधिवत सम्पादित करें ।

उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी राजस्व मण्डल से समाप्त की जाती है ।

आदेश पारित ।

पक्षकार एवं तहसीलदार, अमरपाटन सूचित हो ।

प्रकरण समाप्त ।

दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य